मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 29/11/2019

क्र. एफ 16-20/2019/ए-ग्यारह::मेसर्स दीपक फास्टनर्स लि. द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2010 के प्रावधान अंतर्गत 2 वर्ष अतिरिक्त प्रवेश कर मुक्ति का लाभ प्रदान किये जाने संबंधी पुर्नविचार आवेदन प्रस्तुत किया गया प्रकरण के संबंध में मुख्य तथ्य निम्नानुसार है:-

1. इकाई मेसर्स दीपक फास्टनर्स लिमिटेड,जिला सीहोर द्वारा दिनांक 20.05.2013 से उत्पादन प्रारंभ किया गया था। इकाई के प्रवेशकर मुक्ति के प्रकरण में राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति (प्रवेश कर मुक्ति सुविधा) की 17वीं बैठक दिनांक 26.08.2014 में समिति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक (96) दिनांक 13.12.2010 अंतर्गत 05 वर्ष हेतु प्रवेशकर छूट सुविधा स्वीकृत की गई।

2. इकाई द्वारा उक्त छूट की निरंतरता में 02 वर्ष की अतिरिक्त प्रवेशकर की छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर राज्य स्तरीय साधिकार समिति की 13वीं बैठक दिनांक 01.10.2018 में अधिसूचना क्रमांक (19) दिनांक 11.04.2012 अंतर्गत इकाई की 02 वर्ष अतिरिक्त प्रवेशकर छूट सुविधा की मांग को निम्न प्रावधानों के आधार पर विचार किया गया:-

"अधिसूचना क्रमांक (19) दिनांक 11.04.2012 अनुसार इकाई जिसमें 1000 से अधिक व्यक्तियों को नियमित रोजगार दिया गया हो, जिसमें मध्यप्रदेश के मूल निवासियों में से 90 प्रतिशत या उससे अधिक (इकाई के प्रबंधन को छोड़कर) व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो, को यथा स्थिति 05 या 07 वर्ष की कालावधि के अतिरिक्त 02 और वर्षो के लिये प्रवेशकर के भुगतान से छूट की पात्रता होगी। इकाई पूर्व स्वीकृत सुविधा अवधि जिसके दौरान उपरोक्त अपेक्षा की पूर्ति कर दी जाती हो, अवसान होने जाने के पश्चात अतिरिक्त कालावधि के लिये छूट की सुविधा लेने के लिये पात्र होगी।"

3. उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा उप श्रमायुक्त, भोपाल के इकाई में रोजगार संबंधी सत्यापन के आधार पर पाया गया कि इकाई में पूर्व स्वीकृत प्रवेशकर छूट पात्रता अवधि दिनांक 22.01.2012 से 21.01.2017 में केवल वर्ष 2016 एवं 2017 में ही कुल कर्मचारी 1000 से अधिक थे। उक्त में भी मध्यप्रदेश के मूल निवासी श्रमिकों की संख्या क्रमशः 705 एवं 706 रही है शेष स्टाफ/प्रबंधक श्रेणी के है। अर्थात इकाई की पूर्व स्वीकृत प्रवेशकर छूट सुविधा की सम्पूर्ण पात्रता अवधि में रोजगार की संख्या 1000 नहीं रही है। इस आधार पर 02 वर्ष की अतिरिक्त प्रवेशकर की सुविधा स्वीकृत किये जाने हेतु पात्रता नही आती है। अतः राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा आवेदन अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार MPIDC के पत्र क्रमांक 5847-48 दिनांक 06/10/2018 से इकाई को अवगत कराया गया।

4. उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर इकाई द्वारा दिनांक 29/05/2019 को वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक (19) दिनांक 11.04.2012 अंतर्गत 02 वर्ष की अतिरिक्त प्रवेशकर छूट सुविधा की मांग हेतु अपील, निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस अपील में नियमित रूप से इकाई में 1000 व्यक्तियों को निरंतर रोजगाररत होने संबंधी कोई प्रमाण नही दिये गये है, जबकि उप श्रमायुक्त भोपाल द्वारा दिये गये सत्यापन में सम्पूर्ण पात्रता अवधि में रोजगार की संख्या 1000 नही होने संबंधी उल्लेख है।

निरंतर .....

2/ निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखकर समिति द्वारा यह निष्कर्ष लिया गया कि मेसर्स दीपक फास्टनर्स लि. द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के प्रावधान अंतर्गत 02 वर्ष अतिरिक्त प्रवेश कर मुक्ति का लाभ प्रदान किये जाने संबंधी पूर्व में इस आधार पर निरस्त की गई कि इकाई की पूर्व स्वीकृत प्रवेशकर छूट सुविधा की सम्पूर्ण पात्रता अवधि में रोज़गार की संख्या 1000 नही रही है। इस आधार पर 02 वर्ष की अतिरिक्त प्रवेशकर की सुविधा स्वीकृत किये जाने हेतु पात्रता नही आती है।

अतः राज्य शासन एतद् द्वारा समस्त तथ्यों पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इकाई को पूर्व स्वीकृत प्रवेश कर छूट सुविधा की सम्पूर्ण पात्रता अवधि में रोजगार की संख्या 1000 नही होने से आवेदन अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजौरा) 29/11/19
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16-20/2019/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 29/11/2019

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला सीहोर।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स दीपक फास्टनर्स लि., ग्राम खोखरी, भोपाल-इन्दौर हाईवे, जिला सीहोर।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग